भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 4933

उत्तर देने की तारीखः 01.04.2025

विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग

4933. श्री प्रद्युत बोरदोलोई:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की सिफारिशों को लागू करने की योजना है और यदि हां, तो इसके कार्यान्वयन की विस्तृत समय-सीमा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) सरकार द्वारा डीएनटी, एनटी और एसएनटी समुदायों, जिन्हें अभी तक अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, का वर्गीकरण करने के लिए कौन से कदम उठाए जा रहे है;

(ग) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) के सभी राज्यों ने डीएनटी, एनटी और एसएनटी के लिए जिला स्तरीय शिकायत समितियों का गठन किया है; और

(घ) वर्ष 2022 में शुरू होने के बाद से डीएनटी (एसईईडी) के आर्थिक सशक्तिकरण की योजना के अंतर्गत संवितरित निधि और लाभार्थियों का वर्षवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): राष्ट्रीय विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजाति आयोग की सिफारिश के आधार पर सरकार ने फरवरी, 2019 में विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों के लिए विकास और कल्याण बोर्ड (डीडब्ल्यूबीडीएनसी) का गठन किया है। इसके अलावा, विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू के आर्थिक सशक्तिकरण की योजना (सीड) आरंभ की गई है और इसका कार्यान्वयन डीडब्ल्यूबीडीएनसी द्वारा किया जा रहा है।

(ख): नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में 268 समुदायों के वर्गीकरण के लिए एक समिति गठित की गई है, जिन्हें अभी तक वर्गीकृत नहीं किया गया है।

(ग): जी नहीं।

(घ): डीएनटी के आर्थिक सशक्तिकरण की योजना (सीड) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 15.00 करोड़ रुपये तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 में 32.43 करोड़ रुपये जारी किए गए थे, जिसमें आजीविका घटक के अंतर्गत 32,936 लाभार्थी, निःशुल्क कोचिंग घटक के अंतर्गत 551 लाभार्थी तथा स्वास्थ्य बीमा घटक के अंतर्गत 2608 लाभार्थी शामिल किए गए हैं।

*****